

1 | पंचायत निगरानी संख्या 145/2017 बअनवान भूराराम बनाम अचलाराम वगैरा

न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली  
पीठासीन अधिकारी:: श्री अंश दीप, आई.ए.एस

पंचायत निगरानी :: 145/2017 ::

जीसीएमएस नम्बर :: 2017/00579

प्रार्थी :- बनाम  
भूराराम पुत्र केनारामजी  
जाति सीरवी निवासी  
नाडोल तहसील देसूरी  
जिला पाली (राज.)

अप्रार्थीगण :-

1. अचलाराम पुत्र मूलारामजी जाति चौधरी निवासी नाडोल तहसील देसूरीजिला पाली (राज.)
2. ग्राम पंचायत नाडोल जरिये सरपंचतहसील देसूरी जिला पाली (राज.)


पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम, 1994

अधिवक्ता :- प्रार्थी की ओर से सुमेर सिंह राजपुरोहित उपस्थित  
अप्रार्थी के अधिवक्ता श्री पी.एम. जोशी उपस्थित  
-:: निर्णय ::-

दिनांक :- 8/3/24

अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा यह निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 के तहत ग्राम पंचायत नाडोल के प्रस्ताव संख्या 6 व आदेश दिनांक 20.07.2003 जिसे मिसल संख्या 22/02-03 के ग्राम पंचायत नाडोल द्वारा पारित किया गया उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 3053 दिनांक 05.08.2004 को निरस्त कराने हेतु पेश किया गया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस एवं अधीनस्थ ग्राम पंचायत का जैर निगरानी पट्टे सम्बन्धी रेकॉर्ड तलब किया गया बहस उभय पक्ष सुनी गई।

वकील प्रार्थी ने वक्त बहस कथन किया कि प्रार्थी की स्वयं की खरीदसुदा कब्जासुदा पट्टा सुदा प्लॉट संख्या 23 ग्राम नाडोल में स्थित है। जो पंजीबद्ध विक्रय पत्र दिनांक 17.02.2006 के शिवराज पुत्र पनराजी मेहता से 1,41,000/- रुपये में क्रय किया था उसके चिपता ही पश्चिम में प्लॉट संख्या 21 स्थित है जो पूर्व में उमराव कंवरजी का बनाप 40 गुणा 80 वर्गफीट का तथा उनके नाम पट्टा भी 09.08.70 को बना हुआ है। उसका 1/2 हिस्सा प्रार्थी को बेचाण दिनांक 19.06.1996 को किया था जिसकी रजिस्ट्री संलग्न है। अप्रार्थी द्वारा खरीद किए गए भूखण्ड पर अप्रार्थी का मकान निर्मित है। प्रार्थी के विक्रेता शिवराज के निलामी के खरीद सुदा भूखण्ड है व उमरावकंवरजी से खरीदसुदा भूखण्ड के बीच खालसा पड़त भूमी अथवा खाली पंचायत के स्वामित्व की भूमी नहीं है। ग्राम पंचायत के नक्शे की प्रति संलग्न है। शिवराज जी के पट्टे भी पुस्त पर एवं मिसल में भूखण्ड संख्या 21 व 22 के पंचायत की आबादी भूमी खाली नहीं है। भूखण्ड संख्या 21 व 23 के मध्य भी कोई खाली भूमी नहीं है। ऐसी स्थिति में पंचायत द्वारा पट्टा भूमी का विक्रय विलेख जारी कर दिया है जिसका विधिक अधिकार पंचायत को नहीं है। अप्रार्थी व प्रार्थी के विक्रेता अथवा प्रार्थी के क्रयसुदा भूमी पर अतिक्रमण कर दिया हो तो पंचायत को अतिक्रमी के पक्ष में भूमी विक्रय करने की विधिक अधिकारीता नहीं है। ग्राम पंचायत नजूल आबादी भूमी पर ही विक्रय विलेख जारी कर सकती है। हस्तगत प्रकरण में ग्राम पंचायत द्वारा प्रार्थी के विक्रेता की पट्टा सुदा भूमी को भू पट्टी के रूप में विक्रय करने की भारी भूल की है जो **ab initio void** होने से निरस्त योग्य है। प्रार्थी द्वारा आवेदन 09.12.02 को प्रिन्टेड फॉर्म प्रस्तुत किया पत्रावली कायम की गई थी जिसमें नियम 146 के तहत वार्ड पंचों को स्थल निरीक्षण हेतु मनोनीत किए उसमें मनोनित वार्ड पंचों के नाम व हस्ताक्षर नहीं है। कितने वार्ड पंच है यह भी दर्ज नहीं है। निरीक्षण रिपोर्ट पेश की गई उस पर एक ही वार्ड पंच के हस्ताक्षर है। जबकि तीन वार्ड पंच होना अपेक्षित है।

  
जिला कलेक्टर, पाली




आपति नोटिस में सरपंच के हस्ताक्षर नहीं है न सील व गोल मोहर अंकित है। उक्त नोटिस कहां चस्पा किया गया व किसकी मौजूदगी में किया गया अंकित नहीं है। बयान फॉर्म पर पडौस खाली है। भूखण्ड का नाप अंकित नहीं है। कब्जे की अवधी रिक्त छोड़ी हुई है। दिनांक अंकित नहीं है। पट्टे पर जो नक्शा बनाया वह गलत है। पूर्व में खालसा भूमी बताई है जब मौके पर खालसा भूमी नहीं होकर प्रार्थी का खरीदसुदा भूखण्ड है। जैर निगरानी पट्टा भी प्रार्थी के विक्रेता की भूमी का ही जारी किया गया है इस बाबत निषेधाज्ञा का एक वाद सिविल न्यायालय (क.ख.) देसूरी में विचाराधीन है। जिसकी नकले निगरानी में प्रस्तुत है। जैर निगरानी पट्टा नक्शे के अनुसार शिवराज जी मेहता के भूमी में जारी किया गया है जिसकी विधिक रूप से अधिकारिता पंचायत को नहीं है। इस कारण भी विक्रय विलेख अपास्त योग्य है।

वकील अप्रार्थी ने प्रकरण के संदर्भ में बहस करते हुए कथन किया कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया तथा आवेदन के साथ 60 रुपये शुल्क जरिये रसीद संख्या 2891/09.12.2002 के जमा कराया था तथा उस पर सरपंच ने भू पट्टी सम्बन्धी पत्रावली कायम करने के आदेश दिए थे। तथा प्रस्ताव संख्या 5 दिनांक 05.04.2003 की पालना करते हुए नक्शा बनाने के आदेश दिए गए हैं। तथा नक्शा मौके अनुसार बनाकर पेश किया गया। आदेशिका दिनांक 22.04.2003 के बाद प्रस्ताव संख्या 2 लिए जाने के तीन वार्ड पंचों को मौका निरीक्षण हेतु नियम 146 के तहत मनानीत किया गया। बाद में जरिये प्रस्ताव संख्या 02/5.06.2003 के नियम 148 के तहत आपतियां अंकित करने का आपती पत्र जारी किया गया। निरीक्षण कर्ताओं ने भूमी विक्रय की राय दी जाने का अंकन है। दिनांक 06/20.07.2003 प्रस्ताव लिया जाकर आदेशिका पारित बाबत विक्रय विलेख जारी करने की पारित की गई है। यह कार्यवाही निर्धारित अवधी में आपतियां प्राप्त नहीं होने पर की गई। नियम 144(2) के अनुसरण में उक्त भूमी केवल प्रार्थी के उपयोग की होने से कीमत रुपये 30/- रुपये प्रति वर्गफुट के निर्धारित कर 24,000/- रुपये में विक्रय की गई जो जमा कराने पर पट्टा जारी किया गया है। अन्य सभी विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा जो तर्क दिए गए वह टाइटल से सम्बन्धित है जो सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार का है तथा सिविल न्यायालय देसूरी (क.ख.) में विचाराधीन भी है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर जैर निगरानी पट्टा एक प्रक्रिया के तहत ग्राम पंचायत नाडोल द्वारा बातचीत से प्रतिवर्गगज 30/- रुपये की दर से 24,000/- रुपये वसूल कर जारी किया गया है जिसे यथावत रखा जावे।

बहस सुनी गई। पत्रावली एवं ग्राम पंचायत के रेकॉर्ड का अवलोकन किया गया। इस प्रकरण में मुख्य रूप से विचारणीय बिन्दु 2 है :-

1. क्या जैर निगरानी भूमी नजूल आबादी भूमी थी। क्या उक्त जमीन का विक्रय विलेख जारी किया जा सकता है।
2. क्या ग्राम पंचायत द्वारा विक्रय विलेख जारी करने हेतु राजस्थान पंचायती राज नियमों में विहित प्रक्रिया का पालन किया गया है।

वकील प्रार्थी जैर निगरानी आराजी को नूजूल आबादी भूमी नहीं थी सिद्ध करने में असफल रहे हैं तथा यह भी साबित करने में असफल रहे की मौके पर जमीन नहीं है। वकील प्रार्थी द्वारा मौका रिपोर्ट रेकॉर्ड पर नहीं लिए जाने हेतु निवेदन किया गया। वकील अप्रार्थी ने निवेदन किया कि नियमानुसार रिपोर्ट नहीं मांगी गई है लेकिन इस सन्दर्भ में मौका रिपोर्ट यदि अप्रार्थी ग्राम पंचायत द्वारा तैयार भी कराई गई है। तब भी यदि उसका उपयोग अप्रार्थी द्वारा अपना पक्ष साबित करने का किया जाता है तो इसमें कोई गलती प्रतीत नहीं होती है। प्रार्थी द्वारा कहीं भी मौका रिपोर्ट में कोई तथ्य छिपाया अथवा गलत बताया गया हो ऐसा निवेदन नहीं किया गया है। इस प्रकार प्रार्थना पत्र स्वीकार कर मौका रिपोर्ट रेकॉर्ड पर ली जाती है। लेकिन इस बाबत किसी प्रकार का साक्ष्य सबूत भी पेश नहीं किया गया है।

  
जिला कलेक्टर, पाली



3 | पंचायत निगरानी संख्या 145/2017 बअनवान भूराराम बनाम अचलाराम वगैरा

जिसमें यह सिद्ध हो सके की जैर निगरानी आराजी नूजूल आबादी भूमी नहीं थी जिसमें ग्राम पंचायत नाडोल द्वारा पट्टा जारी नहीं किया जा सकता है।

पट्टा जारी करने की प्रक्रिया का अवलोकन करने पर पाया गया कि अप्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र मय शुल्क ग्राम पंचायत में जमा कराया था तथा मिसल कायम की गई वार्ड पंचों द्वारा मौका निरीक्षण किया गया। आराजी का नक्शा बनाया गया है आपति इशितहार जारी किया गया है भूमी को 30/- रुपये प्रति वर्गफुट की दर से 24,000 रुपये (अक्षरे चौबिस हजार रुपये मात्र) में भूमी विक्रय किया गया तथा शुल्क जमा कराने के पश्चात ही पट्टा जारी किया गया है। इस प्रकार ग्राम पंचायत नाडोल द्वारा प्रक्रिया का पालन किया गया है। हस्तगत प्रकरण में सेल डीड अनुसार ही छायांकित हिस्सा अप्रार्थी द्वारा लिया गया है। फिर भी मूल विवाद इस प्रकरण में भूमी के टाइटल का है। जिस सम्बन्ध में प्रार्थी द्वारा सिविल न्यायालय में वाद दायर किया हुआ है। वाद की प्रति पत्रावली पर भी उपलब्ध होने से स्पष्ट है जिसका निर्णय सक्षम न्यायालय द्वारा ही किया जाना न्यायोचित है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के तहत टाइटल का निर्धारण नहीं किया जा सकता है।

परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी अस्वीकार की जाकर जैर निगरानी पट्टा संख्या 3053 जो मिसल संख्या 22/02-03 में पारित आदेश व प्रस्ताव संख्या 06 व आदेश दिनांक 20.07.2003 की पालना में जारी किया गया उसे यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 8/3/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर शामिल मिसल किया गया।



*Ansh*  
(अंश दीप)

जिला कलेक्टर, पाली  
जिला कलेक्टर, पाली